

# कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद – हरदोई

संख्या / १५। / न०पा०परि०बि० / नि०सू० / २०-२१

दिनांक – १२.०१.२०२१

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-टेण्डरिंग के अन्तर्गत जनपद हरदोई के न०पा०परि०बिलग्राम में ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में मैटरियल रिकवरी फैसेलिटी (M.R.F सेन्टर के निर्माण हेतु) निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से नगर पालिका सूची में अंकित निर्माण कार्य हेतु ई-टेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खाता संख्या 4105002100000139 आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0410500 में आर०टी०जी०एस० या नगद जमा किया जाये। आर०टी०जी०एस०/नगद निविदा मूल्य न जमा करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

(A)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रकाशन तिथि	१२-०१-२०२१
(B)	वेबसाइट पर आनलाइन निविदा डाउनलोड कि तिथि	१३-०१-२०२१
(C)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	१८-०१-२०२१
(D)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	१९-०१-२०२१
(E)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जायेगी।
(F)	ई-निविदा खोलने का स्थान	अपर जिला मजिस्ट्रेट / प्रभारी अधिकारी (स्थानीय) एवं कार्यालय न०पा०परि० बिलग्राम

### कार्य विवरण निम्नवतः—

क०स०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि (५ प्रतिशत)	निविदा मूल्य + १८ प्रतिशत जी०एस०टी० सहित	कार्य की अवधि
१	२	३	४	५	६
<b>स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत</b>					
१	बेरुआ निजामुपर तह० बिलग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत मैटरियल रिकवरी फैसेलिटी (M.R.F सेन्टर के निर्माण हेतु) निर्माण कार्य।	41,73,000.00	208650.00	4956.00	३ माह

### नियम व शर्ते—

- विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई में श्री रूपेश खन्ना लिपिक एवं श्री रोहित शाहू अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ०२ बिलग्राम हरदोई से प्राप्त की जा सकती है तथा फर्म/ठेकेदार निविदा अपलोड करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं।
- आगणन से १५ प्रतिशत से अधिक दर की निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से १० प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि ०.५ प्रतिशत एंव १० से १५ प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि १ प्रतिशत परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- भुगतान कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा नियमानुसार आयकर/जी०एस०टी० आदि सभी करों की कटौती करके भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा उपयोगिता अवधि प्राप्त होने पर भुगतान पर विचार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि रा०वि०आ०/नगर निधि से उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

4. निविदा के साथ 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य नगर पालिका परिषद् विलग्राम की वैकं पी0एन0वी0 खाता खं 4105002100000139 आईएफ0एस0सी कोड PUNB0410500 में ऑन लाइन आदि माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी रसीद कार्यालय नगर पालिका परिषद विलग्राम से प्राप्त की जायेगी।
5. अन्तिम भुगतान से 05 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, जमा कुल जमानत धनराशि वापस की जायेगी तथा पाँच वर्ष तक सङ्कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सफलता प्राप्त फर्म/ठेकेदार की होगी।
6. टेंडर दाताओं को टेंडर के समय निम्न प्रपत्र ई टेंडर में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कापी में भी समस्त अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

- A. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- B. 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा का प्रपत्र।
- C. चरित्र प्रमाण पत्र।
- D. हैरियत प्रमाण पत्र।
- E. टी-6
- F. गशीनरी उपलब्धता, टेकिनकल स्टाफ एवं निकाय में किसी सगे सम्बन्धी या परिवार के किसी व्यक्ति के कार्य न करने का नोटरी कराकर शपथ पत्र एवं टेकिनकल स्टाफ का प्रमाण पत्र।
- G. आयकर विभाग का 3 वर्षों का वार्षिक वलीयरेश प्रमाण पत्र।
- H. अनुभव प्रमाण पत्र।
- I. श्रम विभाग का पंजीकरण।
- J. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र वर्तमान में सकिय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं है, तो उसे नगर पालिका में निविदा सफलता के पश्चात पंजीकरण शर्तों के अधीन 10 दिन के अन्दर नगर विकास से निर्गत शासनादेश के क्रम में कराना अनिवार्य होगा साथ ही शासन/निदेशक उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेशों/निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल/07/निदेश/2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुकूल कार्य विभिन्न श्रेणियों के अधीन कार्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उस श्रेणी के अतिरिक्त यदि निविदा डाली जाती है तो स्वतः निरस्त मानी जायेगी, एवं ऐसे ठेकेदार/फर्म को कार्य स्वीकृत किया जाता है जिसका पंजीयन निकाय में नहीं है तो शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के क्रम में ई-निविदा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात निकाय में पंजीकरण शर्तों के अधीन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासनादेश [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड है।

7. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुरूप प्रत्येक कार्य का अनुबन्धनामा एवं नोटरी शपथ पत्र एवं समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियों एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य है।
8. टेंडर तकनीकी अधिकारी की देख रेख में खोले जायेंगे, एवं टेंडरों का परीक्षण भी तकनीकी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, तकनीकी अधिकारी की लिखित संतुष्टता के उपरान्त ही वित्तीय विड खोली जायेगी। यदि भविष्य में कोई चूक पायी जाती है, तो उसके लिए तकनीकी अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
9. सफलता प्राप्त फर्म को कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यस्थल पर 1X1.5 मीटर का डिस्प्रेलबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिस पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संख्या एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. निविदा खुलने के समय ठेकेदार/फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म द्वारा कार्य किया जाता है तो पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. एकल/सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी साथ ही स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य स्वीकृत के पश्चात यदि कार्य हस्तांतरित किये जाने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, काला सूची में डाला जाने हेतु समस्त विभागों में किये जाने हेतु संसूचित किया जायेगा। पारदर्शिता प्रतियोगिता की दृष्टि से न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त होनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में टेंडर निररत किया जायेगा।
12. टेंडर फार्म पर टेंडर रेट (दरें) कम या अधिक प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
13. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रु 500.00 प्रतिदिन हो सकता है दो सप्ताह पश्चात कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा बन्धित फर्म के विरुद्ध शासकीय कार्य में जानबूझ कर व्यवहार, शिथिलता/उदासीनता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
14. ठेकेदार को नामित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सिविल/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड0डी0एस0 जनपद हरदोई के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त इंटरलाकिंग, अन्य प्रयुक्त सामग्री का सैम्पूल परीक्षण कराने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
15. शासनादेश संख्या :- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26/02/2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
16. बिना कारण बताएं एक टेंडर या सभी टेंडरों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। नगर पालिका निर्माण नियमावली/लोक निर्माण विभाग की नियमावली, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पालन ठेकेदार/फर्म आदि को मानना अनिवार्य होगा।

18. राज्य मिशन निदेशक (एस०बी०एम०) राज्य मिशन निदेशालय उ०प्र०/सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स 2016 की समस्त शर्तें ठेकेदार/फर्म को मान्य करना अनिवार्य होगा तथा एम०आर०एफ० का निर्माण शासनादेश सं० पी.एम.यू./2561/427(6) 2019 लखनऊ दिनांक:-13.08.2019 में दिये गये मानकीकृत ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी निकाय के अवर अभियन्ता व सी०एण्ड डी०एस० के अभियंता के मागदर्शन व दिशा-निर्देशों अनुसार कराना अनिवार्य होगा। मानकीकृत ड्राइंग/डिजाइन के विचलन होने पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
19. ई-प्रोव्योरमेंट पोर्टल पर एम०आर०एफ० टेप्डर की बी०ओ०व्यू जी०एस०टी० एवं सेस रहित अपलोड की जायेगी। सफलता प्राप्त निविदादाता को जी०एस०टी० एवं सेस की धनराशि बिल में अंतिरिक्त देय होगी।

कृपया अवलोकन कर प्रकाशन हेतु समाचार पत्र एवं तिथि निर्धारित कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

(रुपेश खन्ना)

वरिष्ठ लिपिक  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम - हरदोई

(श्रीचंद) ११/०१/०२

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम हरदोई

Hafizah

(हबीब अहमद)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम हरदोई

### संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-1. जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरदोई।

X2. सम्पादक.....X.....X.....X.....X..... समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि न्यूनतम आकार में शासकीय विज्ञापन दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3. उप जिलाधिकारी महोदय, बिलग्राम।
4. पालिका के नोटिस बोर्ड एंव गार्ड फाइल पर चर्चा हेतु।

(श्रीचंद) ११/०१/०२

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
बिलग्राम हरदोई